Form No.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत .... उपखण्ड अधिकारी ...... मुकाम.................... बीकानेर......................

चुनाराम बनाम स्टेट

न. 78/ सन् 2019.

किस्म मुकदमा 136 एलआरएक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13-12-19	यह प्रकरण प्रार्थी द्वारा जरिये वकील महेश कुमार सुथार द्वारा धारा 136 एलआरएक्ट के तहत ग्राम नगासर की जमाबन्दी स.2074–77 के खता न. नया 31 व 32 खसरा नं. नख 340–3378 में खातदेार चुना पुत्र वस्ता कौम मेघवाल सा. नगासर दर्ज रिकार्ड है को दुरूस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुतत कर निवेदन किया कि खातेदार का नाम चुना पुत्र वस्ता के स्थान पर सही नाम चुना पुत्र बख्ता दर्ज करने के आदेश दिये जावे। प्रस्तुत प्रार्थाना पत्र मूल ही तहसीलदार बीकानेर को पत्रांक 1552 दिनाक 13.9.19 को एलआर शाखा से प्रेषित किया। जिस पर तहसीलदार बीकानेर द्वारा अपने पत्रांक 6506 दिनांक 14.1.19 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नगासर की जमाबन्दी स.2045 मे प्रार्थी खातेदार का नाम चुना वल्द बख्ता हैं। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा चुना वल्द बस्ता अंकित कर दिय गया। जो 136 एलआरएक्ट के तहत दुरूस्त किया जाना उचित है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे। तहसीलदार बीकानेर द्वारा इस बाबत पटवारी हल्का नगासर से रिपोर्ट ली गई ,के अनुसार प्रार्थी का नाम चुना वल्द बस्ता के स्थान पर चुना वल्द बख्ता करने की अनुशंषा की गई है। हमने प्रार्थना पत्र, तहसीलदार बीकानेर व पटवारी हल्का नगासर एवं संलग्न रिकार्ड का अवलोकन किया ,के अनुसार नाम दुरूस्त करना न्यायनुमत प्रतीत लगता है। अतः परिणाम स्वरूप ग्राम नगासर की जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता न.31 व 32 नया खसरा न. 340 की 7.4400 एवं खसरा न. 378 की 9.8900 है. भूमि मे खातेदार चुना पुत्र बस्ता के स्थान पर चुना पुत्र बख्ता का नाम तहसीलदार बीकानेर की अनुंशषा के आधार पर दुरूस्त कर प्रति स्थापित करने के आदेश दिये जाते है। आदेश की एक प्रति तहसीलदार को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम करते हुए दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बीकानेर	

उप खण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Riya Kejriwal
Date: 2020.01.28 12:35:09 IST
Reason: SelfAttested